

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

कारण संख्या: 57 / 2024 / सरफैसी

भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई लघु उद्योग शाखा (03993) नेफ्यून टॉवर एनेक्सी, गांधीग्राम रेलवे  
स्टेशन के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. मैसर्स जेनिथ कॉर्पोरेशन, पता-1013, 10वीं मंजिल, स्वाति फ्लोवर, सरदार पटेल रिंग रोड, थालतेज, अहमदाबाद, गुजरात-380054
2. मैसर्स जेनिथ कॉर्पोरेशन, पता-911, टाइम्स स्क्वायर, शिलाज रोड, थालतेज, अहमदाबाद, गुजरात-380059
3. मैसर्स जेनिथ कॉर्पोरेशन, द्वारा मनीष डांगी, 41, अमृतथासविला, बी/एच, एसएएल कॉलेज भदाज, अहमदाबाद, गुजरात-380060
4. मैसर्स जेनिथ कॉर्पोरेशन, द्वारा हेमन्त डांगी, 733, रामसिंह जी की बाडी, सेक्टर 11, यूआईटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गिर्वा, उदयपुर राजस्थान 313001
5. मैसर्स जेनिथ कॉर्पोरेशन, द्वारा गिरीश गोयल, पंचायत गली, माउण्ट आबू, सिरौही, राजस्थान 307501

**पार्टनर्स-**

1. मनीष डांगी पुत्र श्री गोविन्दलाल, 41, अमृतथासविला, बी/एच, एसएएल कॉलेज भदाज, अहमदाबाद, गुजरात-380060
2. हेमन्त डांगी पुत्र श्री देवीलाल डांगी, 733, रामसिंह जी की बाडी, सेक्टर 11, यूआईटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गिर्वा, उदयपुर राजस्थान 313001
3. गिरीश गोयल पुत्र श्री विजेन्द्र गोयल, पंचायत गली, माउण्ट आबू, सिरौही, राजस्थान 307501

**गारंटर-**

1. मनीष डांगी पुत्र श्री गोविन्दलाल, 41, अमृतथासविला, बी/एच, एसएएल कॉलेज भदाज, अहमदाबाद, गुजरात-380060
2. हेमन्त डांगी पुत्र श्री देवीलाल डांगी, 733, रामसिंह जी की बाडी, सेक्टर 11, यूआईटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गिर्वा, उदयपुर राजस्थान 313001
3. गिरीश गोयल पुत्र श्री विजेन्द्र गोयल, पंचायत गली, माउण्ट आबू, सिरौही, राजस्थान 307501
4. देवीलाल डांगी पुत्र श्री मोडजी डांगी, 733, रामसिंह जी की बाडी, सेक्टर 11, यूआईटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गिर्वा, उदयपुर राजस्थान 313001

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**



उपस्थित: श्री राम निवास स्वामी अधिकृत प्रार्थी बैंक

**आदेश**

दिनांक 20/04/2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

जिला कलक्टर  
उदयपुर

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 8,00,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (देवीलाल डांगी पुत्र श्री मोडजी डांगी के के नाम लीज होल्ड अधिकारो पर बंधक आवासीय भूमि जो 733, सेक्टर 11, हिरणमगरी, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका भूमि क्षेत्र 4800 वर्गफीट है एवं उस पर बंगलो का निर्माण लगभग 3914 वर्गफीट पर किया गया है। सीमाएं:- पूर्व: रोड, पश्चिम: प्लॉट न. 580, 580-ए, उत्तर: प्लॉट न. 734, दक्षिण: प्लॉट न. 732) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 12.11.2023 तक 8,61,51,119.01/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 8,00,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 12.11.2023 तक 8,61,51,119.01/-रुपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटार्इजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटि इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यो के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (देवीलाल डांगी पुत्र श्री मोडजी डांगी के के नाम लीज होल्ड अधिकारो पर बंधक आवासीय भूमि जो 733, सेक्टर 11, हिरणमगरी, उदयपुर राजस्थान पर स्थित है, जिसका भूमि क्षेत्र 4800 वर्गफीट है एवं उस पर बंगलो का निर्माण लगभग 3914 वर्गफीट पर किया गया है। सीमाएं:- पूर्व: रोड, पश्चिम: प्लॉट न. 580, 580-ए, उत्तर: प्लॉट न. 734, दक्षिण: प्लॉट न. 732) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर

